

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सीवान-01।

पत्रांक.....२२५३..... / सीवान, दिनांक.....१२/११/२४
प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, सीवान-01।

सेवा में,

.....पंचायत बुमार सिंह
.....C/157 पुलिस कोली
.....अनिश्चावाद,
.....जिला - पटना

विषय:- PMGSY/MMGSY/3054 MR/GTSNY अन्तर्गत
पथ के रुटीन अनुरक्षण के संबंध में।

मध्यपुर से याई थोला

महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेश देना है कि विषयांकित पथ पाँच वर्षीय अनुरक्षण के अधीन है। इस पथ में आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है। जो कि एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं का घोर उलंघन है। इस संबंध में इसके पूर्व भी कई बार मौखिक/लिखित रूप से भी निदेश दिया गया है। साथ ही इस विषय पर विभाग द्वारा भी आपति जतायी गई है।

अतः विभाग द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि पथ रेखा में अनुरक्षण कार्य पत्र प्राप्ति के तीन दिनों में संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता की देख सुसंगत कंडिकाओं 17 एवं 33 के तहत आपके एकरारनामा को विर्खंडित कर काली सूची में दर्ज करने हेतु उच्चाधिकारियों को अनुशंसा कर दी जायेगी।

कृपया इस पत्र को गंभिरता से ले।

विश्वासभाजन,

charu
12/11/24
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, सीवान-01